न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/57/2021

हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल बाह्यम्ण निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश।

बनाम

तहसीलदार उच्चैन।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 10.08.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल बाह्यम्ण निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2021 तहसीलदार उच्चैन से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार उच्चैन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/497 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा तहसीलदार उच्चैन से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार उच्चैन से उनके पत्र कमांक/1382 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार उच्चैन ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार उच्चैन से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 1382 दिनांक 10.08.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 1378 दिनांक 06.08.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार उच्चैन को भी भेजी जावे।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर